



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09072021-228198
CG-DL-E-09072021-228198

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 387]
No. 387]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 9, 2021/आषाढ़ 18, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 9, 2021/ASHADHA 18, 1943

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2021

सा.का.नि. 485(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (सिपाही) भर्ती नियम, 2018, में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, (सिपाही) भर्ती (संशोधन) नियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (सिपाही) भर्ती नियम, 2018 की अनुसूची में, -
(i) स्तंभ (6) में, अंक "25" के स्थान पर अंक "23" रखा जाएगा;
(ii) स्तंभ (7) में, शीर्षक 'शारीरिक दक्षता परीक्षण' के अधीन, -
(क) उप-शीर्षक 'पुरुष अभ्यर्थी' के अधीन प्रविष्टियां "(ख)" और "(ग)" का लोप किया जाएगा।
(ख) उप-शीर्षक 'महिला अभ्यर्थी' के अधीन प्रविष्टियां "(ख)" और "(ग)" का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. I-12014/40/2017-एनसीबी-II]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम राजपत्र में 24 मई 2018 को प्रकाशित की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 477(अ), दिनांक 17 मई, 2018 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2021

G.S.R. 485(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Home Affairs, Narcotics Control Bureau (Sepoy) Recruitment Rules, 2018, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Narcotics Control Bureau (Sepoy) Recruitment (Amendment) Rules, 2021.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Ministry of Home Affairs, Narcotics Control Bureau (Sepoy) Recruitment Rules, 2018, in the schedule,-
 - (i) in column(6), for the figures “25”, the figures “23” shall be substituted;
 - (ii) in column (7), under the heading ‘The Physical Efficiency Test’,-
 - (a) under sub-heading ‘Male Candidates’, entries “(b)” and “(c)” shall be omitted;
 - (b) under sub-heading ‘Female Candidates’, entries “(b)” and “(c)” shall be omitted.

[F. No. I-12014/40/2017-NCB-II]

ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 477(E), dated the 17th May, 2018, published in the official Gazette on the 24th May, 2018.